बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228 – /पटना दिनांक: 21/03/2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल 975.00 लाख (नौ करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल 975.00 लाख (नौ करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उच्च तकनीक बागवानी को बढ़ावा देना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। इससे पूरे वर्ष उद्यानिक फसलों के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता मे वृद्धि, ग्रामीण बेरोजगार पुरूष एवं महिलाओं के बीच स्वरोजगार का सृजन तथा बाजार में उद्यमियों के माँग के अनुरूप फल, फूल एवं सब्जियों का उत्पादन एवं तद्नुरूप उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा।

3. योजना का भौतिक आकार अनुसूची–1 अनुरूप कुल 975.00 लाख रूपये की है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक किया जायेगा। उक्त योजना बिहार के 05 (पाँच) जिलों – पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एवं दरभंगा में कार्यान्वित किया जाना है।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025&KY दिनांक–01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक–28.04.2025 को स्वीकृत 10833.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025&KY दिनांक–17.03.2025 से अनुमोदन प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र संख्या–113 (BR 114) दिनांक 19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

5. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य

योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 26.12.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस योजना को भारत सरकार के पत्रांक–03/03/2025–KY दिनांक–17.03.2025 के अनुरूप निर्धारित लक्ष्य एवं सहायतानुदान के अनुसार तैयार की गई है।

7. योजना अंतर्गत अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) घटक के लिए इकाई दर का निर्धारण एम. आई.डी.एच. गाईड–लाईन के अनुरूप किया गया है।

8. योजना का घटकवार विवरण निम्नवत् है :–

8.1 अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) :– इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–2 अनुरूप राज्य के 05 जिलों में किया जायेगा।

अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण का कार्यान्वयन अनुसूची–1 के आधार पर किया जायेगा। एक अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण अंतर्गत एक इकाई के रूप में 2000 वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस निर्माण के साथ बीचड़ा एवं अन्य सामग्री/यंत्रों के लिए इकाई लागत 25,00,000.00 रूपये पर 75 प्रतिशत अनुदान यानि 18,75,000.00 रूपये प्रति यूनिट अनुदान DBT in kind/Cash के रूप में देय होगा। अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण अंतर्गत कंपनी/कृषक को राशि 3 किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त यानि कुल राशि का 25 प्रतिशत यानि 4,68,750.00 रूपये ग्राउटिंग होने के पश्चात देय होगा। ढाँचागत निर्माण होने के पश्चात द्वितीय किस्त के रूप में 35 प्रतिशत की राशि यानि 6,56,250.00 रूपये एवं शेष 40 प्रतिशत की राशि यानि 7,50,000.00 रूपये अंतिम किस्त के रूप में पौध रोपण के पश्चात देय होगा। यदि कृषक द्वारा अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का संस्थापन निविदा द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से स्वंय की राशि वहन कर कराया जाता है तो अनुदान की पूर्ण राशि कृषकों को भुगतान की जायेगी, यदि कृषक के द्वारा DBT In-kind के तहत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से कार्य कराया जाता है तो अनुदान की राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जायेगा।

9. अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण के लिए प्रावधानित अनुदान राशि की विमुक्ति नियमानुसार सत्यापनोपरांत जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा पर की जायेगी। सभी रिकॉर्ड का संधारण कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10. योजना **कार्यान्वयन संबंधित आवश्यक तथ्य निम्नवत् है** :–

(क) **क्लस्टर एवं आवेदकों का चयन** :– जिला उद्यान पदाधिकारियों द्वारा अनुसूची–2 में प्राप्त लक्ष्य के आलोक में प्रथमतः कलस्टर का चयन किया जायेगा। क्लस्टर का चयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि चयनित पंचायत राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से करीब 0.5 से 1 कि०मी० की दूरी पर होनी चाहिए। प्रत्येक क्लस्टर में 08–10 कृषकों का चयन किया जायेगा तथा प्रत्येक कृषकों को एक–एक अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का लाभ दिया जायेगा। प्रत्येक अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का आकार 2000 वर्ग मि0 का होगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में क्लस्टर का चयन कर यथा संभव एक श्रृंखला में भू–धारक कृषकों से आवेदन प्राप्त कर चयन किया जायेगा तथा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में चयनित कृषकों को कार्य उपरांत पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) अंतर्गत सिविल कार्य और शेडनेट अधिष्ठापन के उपरांत अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(ख) **ढाँचागत सुविधा (Infrastructure)का निर्माण** :–योजना अंतर्गत अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) संबंधित ढ़ांचा का निर्माण कृषक द्वारा किया जायेगा। कृषक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित एजेन्सी का सहयोग/मार्गदर्शन प्राप्त कर ढाँचागत सुविधा (Infrastructure) का निर्माण किया जायेगा। किसान द्वारा स्वयं की राशि से निर्माण कार्य करने

पर अनुदान राशि का भुगतान किसान को तथा एजेंसी से सहयोग लेकर निर्माण कार्य कराने पर अनुदान राशि का भुगतान एजेंसी को किया जायेगा।

(ग) योजना के तहत् सभी चयनित कलस्टरों में संरक्षित खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्रों को चिन्हित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना का संचालन जिला उद्यान पदाधिकारी के देख–रेख में कराया जाना है। संरक्षित खेती योजना पूर्व के वर्षों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/राज्य योजना/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसलिए संरक्षित खेती योजना अंतर्गत FLD का लाभ पूर्व के 03 वर्षों में लाभ ले चुके कृषकों को देय नहीं होगा।

(घ) अधिष्ठापन के पश्चात् प्राकृतिक आपदा से FLD अंतर्गत शेडनेट नष्ट होने पर कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु आवश्यक राशि का वहन स्वयं किया जायेगा। तकनीकी सहायता सूचीबद्ध एजेंसीयों द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नियमित रूप से रख–रखाव हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उच्च तकनीक बागवानी योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर निदेशक उद्यान, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर जिला उद्यान पदाधिकारी करेंगे।

12. एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में (60:40) अंतर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूची–3 अनुरूप निदेशक उद्यान बिहार, पटना–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी होंगे। निदेशक उद्यान, बिहार, पटना–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा केन्द्रांश की राशि अनुसूची–2 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी को Virtual Allotment के तहत आवंटित की जाएगी। योजना के कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची–2 के अनुसार केन्द्रांश में आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा केन्द्रांश की राशि के विरूद्ध Claim Raise करने के उपरान्त Reporting Office द्वारा विपत्र के आधार पर SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसका व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA SPARSH) के रूप में निदेशक उद्यान, बिहार, पटना–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी दायित्व का निर्वहन करेंगे।

14. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

16. योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग के लिए 82.35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 15.68 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.96 प्रतिशत अनुपात में किया जायेगा। लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

17. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार– सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के द्वारा केन्द्रांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

18. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा पत्रांक– ब0–15/ बी0एस0जी0–57/25/–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

20. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर किया जा सकेगा।

21. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

22. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश + राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी एवं वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0224– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ० एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224– 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	7075.52	0.00
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस.कोड–4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1470.72	0.00
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01– 2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31 –06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	107.59	0.00
कुल	**8653.83**	**0.00**
प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश मद से स्वीकृत की गई राशि	**13.170**	**-**
सकल योग	**8667.00**	**0.00**

23. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक–10.03.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तदोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–917 दिनांक–01.12.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–16.03.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रीनिंग

समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DOH/CS/161/2025 के पृ०सं०–46/टि० पर दिनांक–20.03.2026 को प्राप्त है।

24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

25. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DOH/CS/161/2025 के पृष्ठ संख्या–47/टि० पर दिनांक–21.03.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–198 दिनांक–21.03.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228- /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228- /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228- /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228- /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228 /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DOH/CS/161/2025-पी०पी०एम०-228 – /पटना दिनांक 21/03/ 2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना (वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक) अंतर्गत अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण (FLD) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

Financial Target (in Lakh Rs.)

Sl. No.	Component Name	Total Cost as per MIDH Guideline	Subsidy as per MIDH Guideline	Subsidy Cost per unit	Phy Target	Financial target (Central Share+State Share)	
						FY 2025-26	FY 2026-27
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Front Line Demonstration	Rs. 25.00 Lakh/Unit	75% of the Total cost	Rs. 18.75 Lakh/Unit	52	0.00	975.00
Total Project cost					**52**	**0.00**	**975.00**

देव नारायण महतो

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची – 2

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 के तहत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
		FLD की संख्या	वित्तीय लक्ष्य
1	पटना	10	1,87,50,000.00
2	नालंदा	12	2,25,00,000.00
3	वैशाली	10	1,87,50,000.00
4	समस्तीपुर	10	1,87,50,000.00
5	दरभंगा	10	1,87,50,000.00
कुल :–		**52**	**9,75,00,000.00**

अनुसूची –3

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत उच्च तकनीक बागवानी योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कोटिवार वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजा०	वित्तीय लक्ष्य
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना	818.05	146.25	10.70	975.00